REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224194 CG-DL-E-05012021-224194

> असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] No. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2021/ पौष 14, 1942 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2021/PAUSHA 14, 1942

भारतीय विधिज्ञ परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2021

फा.सं. BCI:D:2/2021.— भारतीय विधिज्ञ परिषद, कानूनी शिक्षा (स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल, कार्यकारी, (Doctoral) व्यवसायिक, नैदानिक और अन्य अनवरत शिक्षा), नियम, 2020

जबकि पिछले कुछ वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने विशेष रूप से स्नातकोत्तर विधिक शिक्षा के विभिन्न मुद्दों को विशेष रूप से विदेशी विश्व विद्यालयों में संचालित एक वष एलएलएम पाठ्यक्रमों कीसमकक्षता और अन्य मामलों पर विचार करने के लिए भेजा और इन संस्थाओं का विचार है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी स्नातकोत्तर और अन्य उच्च शिक्षा को विधिवत रुप से विनियमित (Regulate) करना चाहिए; और

जबकि भारत सरकार की शिक्षा नीति. 2020 ने एचईसीआई (भारतीय उच्च शिक्षा आयोग) और उसकी नियामक शाखा के स्वाइप के बाहर केवल दो पेशेवर शिक्षा में से एक के रूप में कानूनी शिक्षा को छोड़कर 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद' (एनएचईआरसी) की अपनी नियामक शाखा के साथ नव प्रस्तावित शीर्ष निकाय संस्था, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) से कानूनी शिक्षा को स्पष्ट रूप से तराशा , एनएचईआरसी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए एवम कानुनी शिक्षा को भी भारतीय विधिज्ञ परिशद के दायरे को बना रहा है: और

जबकि एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) ने कानूनी शिक्षा के गूढ़ तथ्यों के सार, इसके बहुविषयक चरित्र, कानून और न्याय के प्रति अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों को मानवीय बनाना, कानूनी कौशल को व्यावसायिक बनाना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए कानुनी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में संकेत दिया; और

जबकि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 बार काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 7 (1) (एच) के तहत विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कानूनी शिक्षा को मानक निर्धारित करने के लिए (ए) स्नातकोत्तर और अनुसंधान (Research) शिक्षा के 32 GI/2021 (1)

[PART III—SEC.4]

लिए मानक निर्धारित करने को शक्ति के साथ अपने सभी आयाम में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने की कार्यात्मक जिम्मेदारी को फिर से प्राप्त किया है; (ख) अनवरत कानूनी शिक्षा; (ग) व्यावसायिक और पैरा—लीगल एजुकेशन; (घ) प्रौद्योगिकी और न्यायालय—प्रबंधन शिक्षा और शिक्षा के ऐसे सभी स्तरों के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष और संस्थागत स्थापना प्रदान करना, जिसमें ऑन लाइन आभासी शिक्षा और वास्तविक मायनों में ऑफ लाइन शिक्षा, न्याय की व्यापक पहुंच और समय पर सुपुर्दगी के लिए पैरा—लीगल एजुकेशन शामिल है; और

जबकि कानूनी शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कानून पाठ्यक्रमों की प्राप्ति के लिए कोई अकादमिक विकास कानून और न्याय वितरण, बार और पीठ के सभी स्तरों पर आवश्यक मानव संसाधन उत्पन्न करने के लिए; शिक्षण और शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान संबंधी व्यावसायिक कर्मी; अदालत प्रबंधन और सेवा प्रदाताआ; सार्वजनिक शासन में नियामक प्रणालियां और संस्थाएं;

जैसा कि हो सकता है, इन नियमों को धारा 7 (1) (एच), (i) के मद्देनजर अधिसूचित किया जाता है; (आईए); (आईबी); (आईसी); (2) (ख); (ग); 15(1); 49 (1) (वायु सेना); (घ); (ङ) प्रत्येक स्तर पर स्नातक, स्नातकोत्तर, कानूनी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और न्यायालय प्रबंधन, अनवरत कानूनी शिक्षा और व्यावसायिक और नैदानिक (clinical) कौशल विकास पाठ्यक्रमों को ऑफ लाइन और ऑन लाइन संचालित करने के उद्देश्य से कानूनी शिक्षा को मजबूत करना ।

अध्याय–1

सामान्य प्रावधान

1. शीर्षक और प्रवर्तन

- i. नियमों का नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन (पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल, एग्जीक्यूटिव, वोकेशनल, क्लीनिकल एंड अन्य अनवरत शिक्षा), नियम, 2020 है; और
- ii. ये नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भारत के पूरे क्षेत्र में अधिसूचित तिथि से लागू होंग।

2. परिभाषाएं

 जब तक पाठ को अन्यथा परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक इन नियमों में उपयोग किए गए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार होगाः--

(i)

- अकादमिक (Academic) वर्ष का अर्थ है उस वर्ष के रूप में एक विश्वविद्यालय द्वारा अपने अकादमिक कार्यक्रम में अधिसूचित किया जा सकता है;
- ▶ अधिनियम का अर्थ है अधिवक्ता अधिनियम, 1961;
- अधिवक्ता का अर्थ है किसी भी राज्य के अधिवक्ताओं के किसी भी रजिस्टर में नामांकित अधिवक्ता;
- क्वालीफाइंग (Qualifying) समकक्षता परीक्षा लेने के लिए उपस्थिति सभी कक्षाओं, ट्यूटोरियल, वितरित व्याख्यान और क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक घंटे, यदि कोई हो, का 75% होगा;
- बीसीआई का अर्थ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया;

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट से अभिप्रेत है – बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट

- कानून में स्नातक की डिग्री का अर्थ है जैसा कि कानूनी शिक्षा नियमों, 2008 में परिभाषित किया गया है या जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है;
- (ii) प्राविधिक शिक्षा केंद्र (सीएलई) का अर्थ है जैसा कि प्राविधिक शिक्षा नियमों, 2008 में परिभाषित किया गया है और नियमों में संशोधन या 2008 को बदलने वाले नियमों का कोई भी व्यक्ति है;

(iii)

नैदानिक (Clinical) कानूनी शिक्षा का अर्थ है और इसमें वास्तविक न्यायालय अभ्यास में उपयोग किए जाने वाले कौशल अधिगम और किसी भी न्यायिक कार्यवाही में, वास्तव में, आभासी या सिमुलेशन के माध्यम से, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित वैकल्पिक विवाद समाधान कौशल और बातचीत, सुलह, मध्यस्थता और मध्यस्थता से संबंधित तकनीक, बार काउंसिल द्वारा संचालित/या किसी राज्य बार काउंसिल द्वारा संचालित, और/या विश्वविद्यालय लॉ स्कूल/संकाय/विभाग बार और बेंच से वरिष्ठ कानूनी पेशेवरों की सहायता के साथ शामिल है;

- अनवरत कानूनी शिक्षा का अर्थ है नियमित या सामयिक अंतराल पर कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं के कानूनी ज्ञान को पूरक और अद्यतन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा;
- क्रेडिट प्वाइंट का अर्थ है प्रत्येक पेपर (पूर्ण/आधा) या मॉड्यूल में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित क्रेडिट प्वाइंट । इस तरह के क्रेडिट पॉइंट को आवश्यक पाठ्यक्रम घंटों इनपुट की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है जिसमें अन्य आलिया,इकाइयां शामिल हो सकती हैं: कक्षा घंटे, केस स्टडीज, प्रस्तुति और ट्यूटोरियल;
- पाठ्यक्रम विकास समिति (सीडीसी) (Curriculum Development Committee) की नियुक्ति विशेष उप-समिति (एसएससी) द्वारा विभिन्न पीजीपीएल के विकास, वास्तुकला और डिजाइनिंग के लिए की जाएगी (जैसा कि नियम-2 (1) (ओआई) में परिमाषित किया गया है) एक विश्व विद्यालय/प्राविधिक शिक्षा कंद्र में पाठ्यक्रम;
- किसी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान परिषद का गठन संबंधित विश्वविद्यालय के संविधि/विनियमों के तहत किया जाता है ताकि अध्ययन के पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया जा सके, परीक्षा आयोजित की जा सके, प्रमाणन के मानक निर्धारित किए जा सकें और अन्य सभी कार्यों का निर्वहन किया जा सके जैसा कि पीजीपीएल और अनुसंधान अध्ययन से संबंधित निकाय को आवंटित किया जा सकता है;
- (iv) समर्पित कोर संकाय में केवल संबंधित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान परिषद के तहत पीजीपीएल और अनुसंधान का प्रशासित करने और चलाने के लिए नियुक्त प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों से मिलकर पूरे समय संकाय शामिल होंगे;
- (V) कार्यकारी कार्यक्रम किसी भी कार्यक्रम है जो इस नियमों के अनुसार चलाया जा सकता है, सप्ताहांत पर, छुट्टियों जब अदालतों छुट्टियों में रहने के रूप में के रूप में अच्छी तरह से ऑन लाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से काम करते है और/या पूर्व परीक्षा वर्ग कक्ष संशोधन पाठ्यक्रम आदि किसी भी कानून स्नातक द्वारा एक मास्टर डिग्री के लिए अग्रणी;
- (vi) संकाय का अर्थ है विश्वविद्यालय कृानून या विनियमों द्वारा गठित विधि संकाय, जैसा कि मामला हो सकता है;

(vii)

- ग्रेड प्वाइंट का अर्थ है ग्रेडिंग सिस्टम में किसी भी पेपर में सुरक्षित अंक, किसी भी सेमेस्टर सेमेस्टर में सभी पेपरों में सुरक्षित औसत आमतौर पर एसएजीपी के रूप में जिम्मेदार और पूरे एलएलएम कोर्स में सभी पेपर्स में ग्रेड अंकों का औसत, आमतौर पर संचयी औसत ग्रेड पॉइंट या सीएजीपी के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है;
- जीईसी व्यावसायिक परिषदों की सहायता से सभी एचआईआई द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिगम परिणामों के मानकों को निर्धारित करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद है जो व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों के रूप में कार्य करेंगे;

(viii)

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) चिकित्सा और कानून में व्यावसायिक शिक्षा को छोड़कर अनुशासन की सभी शाखाओं में उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयाग है;
- उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) यूजीसी के स्थान पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान के वित्तपोषण का प्रभार लेने वाली संस्था है;

(ix)

- एकीकृत विधि डिग्री जैसा कि प्राविधिक शिक्षा नियमावली, 2008 में परिभाषित किया गया है, समय–समय पर संशोधित किया गया है;
- एकीकृत पीएचडी/जे.एस.डी. कार्यक्रम का अर्थ है परास्नातक और डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए एक साथ पंजीकरण;

- [PART III—SEC.4]
- (X) संयुक्त डिग्री कार्यक्रम वह है जहां एक विश्वविद्यालय एक संयुक्त दो डिग्री कार्यक्रम मंगाई, इसका मतलब है, एलएलएम के साथ एक और डिग्री कार्यक्रम, जैसे स्स. एम, एमबीए। इस तरह की संयुक्त डिग्री में दो बार आवश्यकताएं वापस आ जाएंगी, जैसे कि 2 साल के एमबीए के साथ 2 साल एलएलएम 4 साल के लिए संयुक्त डिग्री बनाएगा;
- (Xi) प्राविधिक शिक्षा नियम, 2008 का अर्थ है 2008 में स्नातक कानूनी शिक्षा से जुड़े मामलों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित नियमों का निकाय या समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है;

(xii)

- कानून में परास्नातक की डिग्री का अर्थ है इन नियमों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कानून में मास्टर डिग्री कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त एलएलएम डिग्री;
- एमएचआरडी भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और इसमें भारत सरकार द्वारा उक्त मंत्रालय को दिया गया कोई अन्य नामकरण शामिल है;

(xiii)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शिक्षा नीति है जिसे सभी एचआईआई द्वारा देखा जाना है;
- नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीवीई) एमएचआरडी द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति है;
- > एनएसी संस्थानों के प्रत्यायन के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है;
- > एनएचईआरसी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद का संक्षिप्त नाम है;

(xiv)

- प्राच्य कानूनी प्रणाली का अर्थ है और इसमें स्वदेशी कानूनी व्यवस्था सहित पूर्व की कानूनी प्रणाली शामिल है;
- ऑन लाइन कोर्स/क्लास का अर्थ वर्चुअल क्लास/कोर्स/मीटिंग है क्योंकि मामला वस्तुतः इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है;
- ऑफलाइन कोर्स/क्लास/मीटिंग वही है जो रियल क्लास रूम एक्सरसाइज में आयोजित की जाती है;

(XV)

- पीजीपीएल कानून में सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजोपीएल) का संक्षिप्त रूप है जिसमें सामान्य श्रेणी या विशेष श्रेणी में मास्टर डिग्री कोर्स शामिल हैं;
- पीएचडी का अर्थ है किसी भी कानूनी या न्यायशास्त्रीय विषय में दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट (वैकल्पिक रूप से, एस.जे.डी.) एक शोध थीसिस प्रस्तुत करके प्राप्त किया जाता है और सफलतापूर्वक इसका बचाव करता है और एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है;
- (Xvi) क्वालीफाइंग परीक्षा का अर्थ है प्रवेश स्तर योग्यता परीक्षा;
- (XVII) नियमों का मतलब कानूनी शिक्षा के नियम, 2008;
- (xviii)
 - विशेषज्ञता का अर्थ कानून की किसी भी शाखा में विशेषज्ञता से होगा जैसे कि संविधान और सार्वजनिक कानून, आपराधिक कानून, व्यापार कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, श्रम कानून, कराधान, बैंकिंग और बीमा कानून, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान, महिला और बाल कानून, सार्वजनिक नीति और शासन, मानव अधिकार कानून, और बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी और कानून आदि तक सीमित नहीं है।

बशर्ते कि यदि किसी शाखा में विशेषज्ञता किसी छात्र को अनुमति दी जाती है तो संबंधित छात्र कानून की एक ही शाखा से पीजीपीएल के सभी कागजात का कम से 40% चुना जाएगा ।

यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र को केवल विशेषज्ञता के उस क्षेत्र से कम से तीन कोर संकाय सदस्यों के साथ पेश कर सकता है।

- विशेष उप समिति (एसएससी) का अर्थ है इन नियमों के तहत बीसीआई द्वारा नियुक्त उप–समिति;
- (XiX) इन नियमों का मतलब बीसीआई लीगल एजुकेशन (पोस्ट ग्रेजुएट एंड लीगल रिसर्च डिग्री लेवल एजुकेशन; स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में एजुकेशन; अनवरत शिक्षा; व्यावसायिक और नैदानिक शिक्षा; प्रौद्योगिकी और न्यायालय प्रबंधन शिक्षा और कानूनी शिक्षा के अन्य सभी रूपों) नियम, 2020;

(xx)

- विश्वविद्यालय का अर्थ है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित विश्वविद्यालय के रूप में समय–समय पर संशोधित किया गया है और यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विश्वविद्यालय है:
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अर्थ है आयोग की स्थापना की और एक के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा संचालित के रूप में समय–समय पर संशोधित; और
- (XXi) व्यावसायिक शिक्षाः बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, या किसी भी सीएलई द्वारा व्यवहार में अधिवक्ताओं की सहायता से आयोजित नौकरी पर व्यावसायिक कौशल अधिगम और इसमें नैदानिक कानूनी शिक्षा शामिल है ।
- II. इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए किसी भी शब्द का अर्थ होगा जैसा कि प्राविधिक शिक्षा नियमों, 2008 में परिभाषित किया गया है जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- 3. विशेष उप समिति की नियुक्ति
 - a. प्राविधिक शिक्षा समिति की सलाह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विधिक शिक्षा समिति (एलईसी) के समग्र नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत इन विनियमों को लागू करने के लिए एक विशेष उप—समिति नियुक्त करेगी।
 - b. विशेष समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनाई जाएगीः
 - (i) विधि के पांच प्रख्यात प्रोफेसर, जिनमें से एक एनएलएसआईयू का कुलपति होने के नाते, जैसा कि प्राविधिक शिक्षा समिति द्वारा नामित किया जा सकता है;
 - (ii) उच्च न्यायालयों के दो माननीय वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो बीसीआई के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए हैं; और
 - (iii) बीसीआई के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीन सदस्य।
 - (iv) प्राविधिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष उप समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
 - C. विशेष उपसमिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
- 4. संकाय सदस्यों की योग्यता/अहर्त्ता

कोर फैकल्टी सदस्यों के पास विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता और अनुभव होगा और यह समय–समय पर यूजीसी और एमएचआरडी और/या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और अन्य लाभों को आकर्षित करेगा। हाँलाकि विशष परिस्थितियों में बार कांउसिल ऑफ इंडिया इन अहत्ताओं या अनुभव संबंधी योग्यता में बदलाव कर सकेगा।

अध्याय–2

लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स

- 5. प्रवेश स्तर योग्यता और मास्टर डिग्री कोर्स की अवधिः
 - (i) एकीकृत विधि डिग्री पाठ्यक्रम में तीन वर्षीय एलएलबी या पांच वर्षीय एलएलबी में उत्तीर्ण प्रवेश स्तर की योग्यता है जो अंकों का प्रतिशत हासिल करता है जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रवेश परीक्षा परीक्षा निकाय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है या तो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या राज्य स्तर पर जैसा कि मामला हो सकता है।
 - (ii) कानून में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिससे मास्टर डिग्री हो रही है, संक्षेप में, एलएलएम को चार सेमेस्टरों में दो वर्ष की अवधि का होना चाहिए ।
- 6. एक साल की मास्टर डिग्री समाप्त की जाए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2013 में भारत में शुरू की गई एक वर्ष की अवधि के कानून में एक मास्टर डिग्री कार्यक्रम अकादमिक सत्र तक ऑपरेटिव और वैध रहेगा जिसमें इन विनियमों को अधिसूचित और लागू किया जाता है लेकिन उसके बाद देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं।

- 7. एलएलएम पाठ्यक्रम कानून में केवल स्नातकों तक ही सीमित है
 - (i) कोई भी विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को कानून में किसी भी मास्टर डिग्री (एलएलएम) को स्वीकार और प्रदान नहीं करेगा जिसने किसी भी विषय या क्षेत्र या अनुशासन में स्नातक होने के बाद कानून (एलएलबी) की डिग्री प्राप्त नहीं की है या (ii) बीएएलबी या बीबीए जैसी एकीकृत डिग्री है । एलएलबी या B.Sc. एलएलबी कम से कम पांच साल की न्यूनतम अवधि का अध्ययन करने के बाद।
 - (ii) किसी भी स्नातक को खुली प्रणाली में प्रदान की जाने वाली कानून की किसो भी विशेष शाखा में मास्टर डिग्री, जैसे कि व्यापार कानून या मानव अधिकार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून एलएलबी/बीए के बिना । एलएलबी के रूप में अपेक्षित प्रवेश स्तर की योग्यता को कानून में मास्टर डिग्री (एलएलएम) के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी भी अन्य तरीके से नामित किया जा सकता है जो किसी का तत्काल ध्यान आकर्षित करता है कि ऐसा डिग्री धारक कानून स्नातक नहीं हो सकता है।

स्पष्टीकरणः बिजनेस लॉ में मास्टर डिग्री को (एमबीएल) के रूप में नामित किया जा सकता है; मास्टर इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी (एमजीपीपी), मास्टर इन ह्यूमन राइट्स एएस (एमएचआर), मास्टर इन इंडस्ट्रियल लॉ (एमआईएल) आदि, जिन्हें एलएलएम के समकक्ष नहीं माना जाता है।

- 8. अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा : All India Common Entrance Test
 - (i) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (या तो सीधे या उसके ट्रस्ट के माध्यम से) सभी विश्वविद्यालयों में कानून में मास्टर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए कानून में स्नातकोत्तर सामान्य प्रवेश परीक्षा (पीजीसेटल) का संचालन कर सकती है और जब तक पीजीसेटल को लागू नहीं किया जाता तब तक संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रणाली का पालन किया जाएगा । एक बार बीसीआई पीजीसीटीएल लागू करने के बाद छात्रों को परीक्षा की मेरिट सूची से प्रवेश देना अनिवार्य होगा ।
 - (ii) प्रवेश लेने वाले आवेदक एक अनुमोदित लॉस्कूल/प्राविधिक शिक्षा केंद्र के लॉ प्रोग्राम में मास्टर डिग्री में प्रवेश के लिए पीजीसेटल में स्कोर जमा करेंगे और प्रवेश संबंधित राज्य में वर्गीकरण और आरक्षण के नियमों के अधीन मेरिट के आधार पर होगा ।
- 9. एलएलएम कार्यक्रम शुरू करने और चलाने के लिए सक्षम संस्थान
 - (i) पीजीपीएल पाठ्यक्रम (एलएलएम कार्यक्रम) शुरू करना और चलाना किसी विश्वविद्यालय की सीधी जिम्मेदारी है और इसे किसी संबद्ध संस्थानों को नहीं मंगाया जा सकता है ।
 - (ii) यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत यूजीसी द्वारा अनुमोदित कोई भी विश्वविद्यालय जिसमें एक संविधान सभाधीत कॉलेज सहित विधि संकाय या विधि विभाग या विधि विभाग और कानून और अनुसंधान में स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद का गठन करने के बाद पीजीपीएल पाठ्यक्रम (मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन लॉ (एलएलएम) शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । और/या कोई अन्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम) अपने किसी भी स्कूल/विभाग/संकाय या घटक कॉलेज में, और निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, विस्तार

परियोजना योजना और अनुमान, ढांचागत सुविधा उपलब्ध है और शैक्षणिक वर्ष से पहले वर्ष के सितंबर महीने के मीतर निर्दिष्ट विषयों के लिए उपलब्ध संकाय की सूची के साथ, जिसमें कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है । वित्तपोषण क स्रोत सहित एक स्पष्ट और पारदर्शी वित्तीय योजना होनी चाहिए ।

- 10. किसी भी पीजीपी पाठ्यक्रम चलाने के लिए चालन
 - (i) सेमेस्टर कार्यक्रम शुरू करना पहला और तीसरा सेमेस्टर कार्यक्रम 1 सितंबर से बाद में शुरू नहीं होगा और दूसरे और चौथे सेमेस्टर का सत्र 15 जनवरी से बाद में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष शुरू नहीं होगा ।
 - (ii) न्यूनतम संख्या कार्य दिवसों कीः प्रत्येक सेमेस्टर में अभिविन्यास कार्यक्रम, परीक्षाओं और चिरायु को छोड़कर न्यूनतम 90 कार्य दिवसों के साथ 18 सप्ताह शामिल होंगे ।
 - (iii) एक कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्याः किसी विश्वविद्यालय संस्थान के एलएलएम कार्यक्रम में अधिकतम 50 छात्रों के ओवर—ऑल—ऑल एडमिशन के अधीन विशेषज्ञता की प्रत्येक शाखा में 20 से अधिक छात्र नहीं होंगे । हालांकि अगर एलएल की सर्वग्राही एक सामग्री में सामान्य कार्यक्रम के तहत एलएलएम में कोई विशेषज्ञता की पेशकश नहीं की जाती है। एम कोर्स में भर्ती प्रोग्राम में सभी स्टडेंटस जनरल कोर्स कर सकते हैं।

बशर्ते कि ऐसे मामले में डिग्री प्रमाण पत्र विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र का उल्लेख नहीं करेगा।

यह भी प्रावधान किया गया है कि एक विश्वविद्यालय, विधि संकाय/लॉ स्कूल जिसकी उच्च मान्यता रेटिंग है, एक अतिरिक्त अनुभाग के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त अनुभाग की अनुमति देने से पहले शिक्षक—छात्र अनुपात और अन्य ढांचागत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध अकादमिक और भौतिक सुविधाओं के अनुसार अतिरिक्त अनुभाग की अनुमति दी जा सकती है।

- (iv) शिक्षक—छात्र अनुपातः लॉ में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीएल) में शिक्षक—छात्र अनुपात 1:10 से अधिक नहीं होगा ।
- (V) संकाय की न्यूनतम संख्या– 10 से कम की समर्पित कोर फैकल्टी होगी जिनमें से न्यूनतम 4 प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर होंगे।
- (vi) किसी विश्वविद्यालय को इन नियमों और/या विनियमों या इन नियमों के अंतर्गत लिए गए संकल्पों के अंतर्गत निर्धारित संकाय और अन्य अवसंरचना की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही पीजीपीएल की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी ।
- (Vii) शिक्षण इंटर्नशिप एक छात्र किसी भी शिक्षण संस्थान में इंटर्नशिप की तलाश कर सकता है (इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित) जिस स्थिति में संबंधित छात्र को संकाय के भीतर या किसी अन्य लॉ स्कूल के साथ अंतिम सेमेस्टर में कम से तीन महीने की अवधि के लिए एक वरिष्ठ प्रोफेसर के तहत शिक्षण में इंटर्नशिप में रखा जाएगा।
- (Viii) शिक्षण—अधिगम विधियों और साप्ताहिक अनुसूचीः शिक्षण अधिगम पद्धति में व्याख्यान, केस स्टडीज, समूह चर्चा, प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुति, सेमिनार, कार्यशालाएं, फील्ड अध्ययन और अनुसंधान शामिल होंगे, जिसमें प्रति सप्ताह न्यूनतम तीस घंटे (सप्ताह में 6 दिन से अधिक 5 घंटे या सप्ताह में पांच दिन से अधिक छह घंटे) शामिल होंगे ।
- 11. पीजीपी कोर्स (एलएलएम कार्यक्रम)
 - (i) पीजीपी पाठ्यक्रम (एलएलएम कार्यक्रम) में न्यूनतम चार अनिवार्य पढ़ाए गए कागजात, सामान्य टोकरी से आठ पेपर या विशेषज्ञता के क्षेत्र से शामिल होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है और प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के मार्गदर्शन में शोध प्रबंध किया जा सकता है । यदि किसी भी सुपर-स्पेशियलिटी में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी सुपर स्पेशिएलिटी के क्षेत्र में एक सहायक प्रोफेसर (पीएचडी के साथ) भी मार्गदर्शन कर सकता है।
 - (ii) एक पूर्ण पत्र 4 क्रेडिट, 2 क्रेडिट के साथ आधा कागज और 2 या 3 क्रेडिट के साथ आठ कागजात आवंटित किया जा सकता है पाठ्यक्रम सामग्री और कक्षा घंटे के आधार पर सामग्री को कवर करने के लिए आवश्यक ह । शोध पत्र/शोध प्रबंध को पूर्ण कागज माना जा सकता है।
 - (iii) एक छात्र चतुर्थ सेमेस्टर की शुरुआत में अनुसंधान खाका के साथ शोध प्रबंध योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा ।

- (iv) शोध प्रबंध कार्य करने वाले प्रत्येक छात्र को इस उद्देश्य के लिए सौंपे गए संकाय सदस्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ।
- 12. अल्पकालिक (Transitory) :-
 - (i) जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्राविधिक शिक्षा समिति (एलईसी) की पाठ्यक्रम विकास समिति (सीडीसी) अन्यथा यह निर्णय नहीं लेती है कि सभी छात्रों के लिए अनिवार्य चार आधार पाठ्यक्रम (क) विधि एवं सामाजिक परिवर्तन (बी) विधि एवं न्याय के सिद्धांत (ग) अनुसंधान पद्धति और पाठ्यक्रम के खाका का डिजाइन और मात्रात्मक विश्लेषण होगा ।
 - (ii) यूजीसी द्वारा किसी विश्वविद्यालय द्वारा एलएलएम कार्यक्रम से संबंधित यूजीसी द्वारा समय–समय पर शुरू किए गए सभी नियम, विनियम, दिशा–निर्देश, निदेश और परिपत्र और अकादमिक और प्रशासनिक मानकों को स्थापित करने के लिए भी जब तक कि भारतीय बार काउंसिल के किसी विनियम, दिशा–निर्देश, परिपत्र, निर्देश या अधिसूचनाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित/निर्देशित न हों, विश्व विद्यालयों पर ऑपरेटिव और बाध्यकारी रहेंगे । किसी विश्वविद्यालय के सामने आने वाली किसी भी बाधा के मामले में, ऐसी जानकारी बीएससी के समक्ष रखने के लिए बीसीआई की जानकारी में रखना होगा ।
 - (iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया शिक्षा नियमावली, 2008 के तहत निर्धारित अपनी प्रत्यायन प्रणाली के संचालन के लिए कदम नहीं उठाएगी, प्रत्येक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय परिषद (नैक) से प्रत्यायन लेना सुनिश्चित करेगा।
- 13. कार्यकारी (Executive) एलएलएम कार्यक्रम
 - (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री ।
 - (ii) यह छह सेमेस्टर में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होगा ।
 - (iii) कोर्स डिजाइन 2 साल यानी 4 सेमेस्टर के लिए रेगुलर एलएलएम कोर्स के समान होगा ।
 - (iv) अपनाए जाने वाले एक वर्ष की शेष अवधि (2 सेमेस्टरों के साथ) के शिक्षण–अधिगम विधियां सप्ताह के अंत में कक्षा कक्ष, सप्ताहांत में कक्षा कक्ष अध्ययन, कानूनी पेशेवरों / कानूनशिक्षकों के लिए उपयुक्त समय सारणी में विश्वविद्यालय की लंबी छुट्टी, अधिमानतः शाम को और ऑनलाइन अनुदेश और पाठ्यक्रम–कार्य; कागज लेखन/परियोजना अनुसंधान या प्रभावी शिक्षण–अधिगम की कोई अन्य अभिनव विधि।

यह पाठ्यक्रम केवल संस्थान में प्रदान किया जाएगा जिसमें शिक्षाओं में अनुसंधान कार्य और कार्यप्रणाली के लिए विशेष संकाय/अवसंरचनाएं होंगी । बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक मॉडल संस्था के रूप में शुरुआत में ऐसी संस्था की स्थापना करेगी।

- (V) मूल्यांकन प्रणाली को सीपीजीएलआर अनवरत मूल्यांकन, पेपर प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट–रिपोर्ट, होम एग्जामिनेशन और टर्मिनल परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से निर्णय लेने की क्षमता, ग्राहकों का बचाव, बहुविकल्पीय और मूट कोर्ट प्रेजेंटेशन द्वारा अपनाया जाएगा ।
- (vi) मूल्यांकन हालांकि ग्रेडिंग प्रणाली होगी और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) में व्यक्त किया जाएगा ।
- 14. अनुमोदन के लिए निरीक्षण
 - (i) एसएससी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एलईसी द्वारा नामित एक प्रख्यात शिक्षाविद, अधिमानतः एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या किसी अन्य अग्रणी विश्वविद्यालय के कुलपति (सेवारत या सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन से कम सदस्यों के साथ एक निरीक्षण समिति मेजेगा । एसएससो यूजीसी/एचईजीसी से भी कमेटी में एक सदस्य मनोनीत करने का अनुरोध कर सकता है।
 - (ii) समिति की रिपोर्ट एसएससी के अवलोकन के साथ अनुमोदन के लिए एलईसी के समक्ष रखी जाएगी और जिसकी एक प्रति यूजीसी/एचईजीसी को भी भेजी जाएगी जिसमें संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अनुदान और अनुदान सहित ब्लॉक और रखरखाव अनुदान आवंटित करने का आग्रह किया जाएगा ।
 - (iii) एक बार विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद यह पांच वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। हालांकि औचक निरीक्षण पर, एक निरीक्षण समिति इस तरह के अनुमोदन को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है:

बशर्ते कि निरीक्षण समिति की सिफारिश पर अनुमोदन रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया जाता कि निरीक्षण समिति द्वारा देखी गई तथ्य स्थिति में ऐसी अनुमोदन को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

एलईसी का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विशेष कारणों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्राविधिक शिक्षा समिति के फैसले को लिखित में दर्ज करने के लिए संशोधित कर सकता है।

15. कोर्स-वर्क के लिए पीएचडी/एसजेडी पंजीकरण और प्रक्रिया

विश्वविद्यालय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर कानून में पीएचडी/एसजेडी पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की एक निर्धारित संख्या दर्ज कर सकते हैं:

- (i) एलएलएम प्रवेश स्तर की अर्हता होगी;
- (ii) पहले सेमेस्टर में क्रेडिट आधारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, अन्य बातों पर, अनुसंधान पद्धति, शिक्षण पाठ्यक्रम योजना और स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में डिजाइनिंग और शिक्षण–सीखने के तरीके और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली होगी ।
- (iii) कार्यक्रम में न्यूनतम समय की आवश्यकता 3 वर्ष होगी;
- (iv) छात्रों को अधिमानतः जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो सकती है;
- (V) प्रत्येक छात्रों के पास शिक्षण सहायकता होगी और किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में कम से कम एक सेमेस्टर के लिए साप्ताहिक क्षाओं की आवश्यक संख्या के लिए क्रेडिट आधारित शिक्षण अधिगम में भाग लेंगे,
- (vi) सार्वजनिक रूप से विद्वान की सफल रक्षा और थीसिस (साहित्यिक चोरी परीक्षण के बाद) के आकलन पर पीएचडी/एसजेडी को प्रदान किया जा सकता है ।

अध्याय–3

शैक्षिक उन्नयन और दक्षता बढ़ाने और व्यावसायिक शिक्षा

16. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एसोसिएट (A.B.C.I)

 बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से केवल नामांकित अधिवक्ताओं के लिए दो व्यावसायिक दक्षता वृद्धि अनवरत शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करेगा और जो किसी राज्य बार कांउसिल में नामांकित हैं, जो इस प्रकार हैं:

- (i) प्रत्येक भाग के लिए और पूरे पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट अंकों की कुल संख्या को पूरा करने के लिए कानून में परास्नातक की डिग्री के बराबर एसोसिएट कार्यक्रम तीन वर्षों की अवधि में आयोजित किया जाना है ।
- (ii) कार्यक्रम मॉड्यूल पर आधारित होगा और पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत वकील पाठ्यक्रम के भाग के पूरा होने के आधार पर परीक्षा ले सकते हैं और अपने उपलब्ध समय के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए अपना समय ले सकते हैं । (ग) शिक्षण पद्धति अध्ययन सामग्रियों का घरेलू अध्ययन, पाठों पर प्रश्नों को पूरा करना और ईमेल के माध्यम से उत्तर भेजना, मूल्यांकनकर्ताओं से प्रतिक्रिया और निर्धारित समय पर संकाय के साथ संदेह निकासी के लिए एक-से-एक ऑनलाइन चर्चा होगी । (घ) मूल्यांकन पाठ, पेपर राइटिंग, लाइन पर केस प्रेजेंटेशन और टर्मिनल टेस्ट, भाग-भाग पर प्रश्न-उत्तर के लिए प्रतिक्रियाओं के अनवरत मूल्यांकन पर आधारित होगा । (ङ) शिक्षा निदेशालय कार्यक्रम और विस्तार से जानकारी को अधिसूचित करेगा और आवेदन पत्र के साथ इच्छुक उम्मीदवारों को ब्रोशर भेजेगा । (च) सफल होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिससे संबंधित उत्तीर्ण छात्र को ए, बी, सी. की मान्यता का अकादमिक शीर्षक दिया जा सके ।
- 2. फैलोशिप कार्यक्रम
 - (i) (बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फैलोशिप F.B.C.I. पीएचडी के बराबर होगी।
 - (ii) एलएलएम/ए.बी.सी.आई. पंजीकरण के लिए प्रवेश योग्यता होगी ।

- तीन वर्ष से कम अवधि के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट द्वारा आवंटित संकाय की देखरेख में अन्संधान करके फैलोशिप प्राप्त की जाती है।
- (iv) किसी भी सुपर स्पेशियलिटी क्षेत्र या कानून की किसी शाखा के किसी भी विषय/मुद्दे पर थीसिस प्रस्तुत करना और थीसिस का मूल्यांकन विधि शिक्षा समिति के परामर्श पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट द्वारा मनोनीत कम से कम तीन विशेषज्ञों के निकाय द्वारा किया जा सकता है।

विस्तारः ए.बी.सी.आई. / एफ.बी.सी.आई. के पाठ्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि किसी भी सीएलई मंस नैदानिक पाठ्यक्रमों और कागजात पढ़ाने के लिए ए.बी.सी.आई. की योग्यता और शीर्षक वाले अधिवक्ताओं की आवश्यकता हो सकती है । F.B.C.I. शीर्षक वाले व्यक्ति को विशेष ठोस और प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रमों के लिए नियमित, अतिथि या अंशकालिक असाइनमेंट के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

17. रिफ्रेशर/अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट और राज्य बार परिषदें आवधिक/नियमित आधार पर निम्नलिखित अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के किसी भी या सभी को चला सकती हैं:

- (i) कानून के किसी भी सामान्य या विशेष क्षेत्र में पाँच दिनों से पंद्रह दिनों की अवधि के अल्पकालिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, जिनके सफल समापन पर प्रतिभागी ऐसे पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिट अंकों के संदर्भ में भागीदारी का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे । बी.सी.आई. ऐसे किसी भी पाठ्यक्रम के लिए दिए जाने वाले क्रेडिट अंकों की संख्या घोषित करेगा। एक अधिवक्ता अपने व्यवसाय कार्ड और पेशेवर अभिलेखों में उल्लेख कर सकता है कि उसने समय की अवधि में ऐसे पाठ्यक्रमों में प्राप्त
- (ii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनमें से किसी भी पाठ्यक्रम को प्रवेश, अध्ययन सामग्री की आपूर्ति, अर्ध-वार्षिक संपर्क घंटे, ऑन लाइन शिक्षा, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भाग लेने वाली परीक्षा की प्रकृति, पाठ्यक्रम अनुसूची, पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, यदि कोई हो, के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ सूचित करेगी ।
- 18. पैरा लीगल / कोर्ट मैनेजमेंट कोर्स

बीसीआई ट्रस्ट पैरा—लीगल (भूमि सर्वेक्षण कार्य, नोटराइजेशन, पंजीकरण और अदालत और वकीलों के चैंबर प्रबंधन के अन्य सभी न्यायिक कार्यों सहित) और उपयुक्त अवधि के प्रौद्योगिकी और न्यायालय प्रबंधन पाठ्यक्रमों को अद्यतन शिक्षा और प्रशिक्षण को कवर करने के लिए पैरा—कानूनी कार्यों और अदालत प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए पैरा—लीगल कार्यों और अदालत—प्रबंधन का संचालन कर सकता है ।

बीसीआई उपरोक्त उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है और इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की सेवा शामिल हो सकती है ।

- 19. संकाय सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण (Faculty Improvement and Teacher's Training)
 - बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया :
 - (i) किसी संकाय में के नए भर्ती सदस्यों के लिए संकाय उन्मुखीकरण कार्यक्रम और 4 वर्षों से अधिक समय तक राज्यों के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में सेवारत; और

(ii) 7 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले कार्यरत/सेवारत और वरिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

- II. बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे संस्थानों की स्थापना कर सकता है और/या किसी राष्ट्रीय विधि वि"वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आग्रह कर सकता है कि वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्र के आधार पर घूर्णन आधार पर इसका आयोजन करें ।
- III. बार काउंसिल ऑफ इंडिया और/या इसके ट्रस्ट में भाग लेने वाले वि"व विद्यालयों, राज्य सरकार, भारत सरकार के जबड़े और न्याय मंत्रालय, यूजीसी/एचईजीसी से लागत साझा करने का अनुरोध करते हैं ।
- IV. आयोजन विधि विश्वविद्यालय/संस्थान व्यापार, औद्योगिक घरानों और अग्रणी विधि फर्मों से प्रायोजन की भी मांग कर सकता है ।

(iii)

अध्याय–4

समतुल्यता और विविध के लिए नियम

20. विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातकोत्तर डिगो की समकक्षता

या बार कांउसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट स्वयम् देश के विभिन्न भागों में ऐसे कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमां को आयोजित करेगा।

- किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त एलएलएम डिग्री कीसमकक्षता की परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए लॉ कोर्स में मास्टर्स डिग्री किसी भी विदेशी या भारतीय विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री प्राप्त करने के बाद ही ली गई होगी जो भारत में मान्यता प्राप्त एलएलबी डिग्री के बराबर है ।
- II. एलएलएम एक विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, जो एक समकक्ष एलएलबी डिग्री के बिना मुकदमा चलाया गया है भारतीय एलएलएम डिग्री के बराबर नहीं होगा इस प्रकार के रूप में:
 - i. LL.B एक तीन/चार साल का पहला स्नातक पाठ्यक्रम है, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालय में एलएलएम में एक वर्ष या दो वर्ष का अध्ययन एलएलबी कार्यक्रम का हिस्सा है ताकि एलएलबी कार्यक्रम के साथ या बिना पुल पाठ्यक्रम पर विचार किया जा सके ।
 - ii. एलएलएम बिना किसी समकक्ष एलएलबी के प्राप्त किया जाता है।
- III. किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त एक वर्ष एलएलएम भारतीय एलएलएम डिग्री के बराबर नहीं है। हालांकि किसी भी उच्च मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष एलएल.बी डिग्री के बाद प्राप्त एक वर्ष एलएलएम डिग्री संबंधित व्यक्ति को कम से एक वर्ष के लिए भारतीय विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का हकदार हो सकता है ताकि एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ ऐसे एक वर्ष एलएलएम की डिग्री पर विचार किया जा सके एक विजिटिंग फैकल्टी/इंटरनी फैकल्टी/क्लीनिकल फकल्टी एक वर्ष की अवधि में प्राप्त मास्टर डिग्री को समकक्ष माना जा सकता है ।

अध्याय – 5

- 21. बार काउंसिल ऑफ इंडिया और/या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट समय समय पर इन नियमों के प्रभावी व उचित कार्यान्वयन हेतू अपनी नियमावली बना सकेगी या संकल्प ले सकेगी।
- 22. प्राविधिक शिक्षा नियम, 2008

विधि शिक्षा नियम, 2008 में समय—समय पर संशोधन या अनुसूची सहित नियमों को बदलने के लिए तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि कोई प्रावधान विशेष रूप से केवल कानून में स्नातक अध्ययन के लिए ही लागू न हो।

श्रीमानतों सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/ असा. /438/2020-21]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2021

Bar Council of India Legal Education (Post-Graduate, Doctoral, Executive, Vocational, Clinical and other Continuing Education), Rules, 2020

F.No. BCI:D: 2/2021.—Whereas for the last a few years Ministry of Human Resource Development, Government of India, University Grants Commission and Association of Indian Universities regularly referred the various issues of Post Graduate Legal education especially for considering the matter of equivalence and other matters of One year LL.M. courses run in foreign Universities and these authorities have a considered view that the Bar Council of India should also regulate Post Graduate and Other Higher education in law; and

Whereas the Education Policy, 2020 of Government of India categorically carved out legal education from the newly proposed umbrella apex body institution, Higher Education Commission of India (HECI) with its regulatory arm of National Higher Education Regulatory Council [NHERC] excluding the legal education as one of the only two professional education outside the swipe of the HECI and its regulatory arm, NHERC, making the entire realm of legal education for the Bar Council of India to regulate; and

Whereas the NEP indicated about the essence of hard-core of the legal education, its multidisciplinary character, international approach to law and justice, humanizing the constitutional values, vocationalize legal skills, and need for having legal education to be competitive globally; and

Whereas under Section 7 (1) (h) of the Advocates Act, 1961 Bar Council of India having reposed the functional responsibility of promoting legal education, in all its dimension with power to make globally competitive legal education to have standard set for (a) Post Graduate and research education; (b) Continuing Legal education; (c) Vocational and Para-legal Education; (d) Technology &Court-management education and provide direct and institutional set up necessary for all such levels of education to deliverquality in all forms of legal education, including on-line virtual education and off-line education in real terms, para-legal education for wider access to and timely delivery of justice; and

Whereas any academic development for attainment of globally competitive law courses in all spheres of legal education to generate human resource required at all levels of law and justice delivery, Bar & the Bench; Teaching and Research professional staff in educational Institutions; Court management and service providers; regulatory systems and institutions in public governance;

Be that as it may, these Rules are notified in view of Sections 7(1)(h), (i); (ia); (ib); (ic); (2)(b); (c); 15(1); 49(1)(af); (d); (e) with a view to strengthen legal education at each level of undergraduate, post graduate, legal research, technology & court management, continuing legal education and professional and clinical skill development courses conducted off-line and on-line.

Chapter-I

General Provisions

1. Title & Enforcement

- (a) The name of the Rules is Bar Council of India Legal Education (Post Graduate, Doctoral, Executive, Vocational, Clinical and other Continuing Education) Rules, 2020; and
- (b) These Rules shall come into force from the date notified by the Bar Council of India throughout the territory of India.

2. Definitions

(1) Unless the text requires otherwise defined, the following terms used in these Rules shall mean as follows:-

(ai) Academic year means the year as may be notified by a University in its academic schedule;

- (aii) Act means Advocates Act, 1960;
- (aiii) Advocate means an advocate enrolled in any register of Advocates of any state;
- (aiv) Attendance for taking the qualifying test shall be 75% of all classes, tutorials, lectures delivered and hours required for field studies, if any;
- (bi) BCI means the Bar Council of India;
- (bii) BCI Trust means B. C. I. Trust PEARL-FIRST;
- (biii) Bachelor degree in law means as defined in the Legal Education Rules, 2008 or as it may be amended from time to time;
- (ci) Centre for Legal Education (CLE) means as defined in the Legal Education Rules, 2008 and anybody of Rules amending or replacing the Rules, 2008;
- (cii) Clinical Legal Education means and includes a course on skill learning used in actual court practice and in any judicial proceedings, in reality, virtual or through simulations including any course on alternative dispute resolution skills and technique concerning negotiation, conciliation, mediation and arbitration, run by the Bar Council of India and/or any State Bar Council, and/or University Law School/Faculty/Department with the assistance Senior legal professionals from Bar and the Bench;
- (ciii) Continuing Legal Education means professional education to supplement and update legal knowledge of the legal professionals and advocates at regular or occasional intervals;
- (cv) Credit Point means credit point allocated by the University in each paper (full/half) or module. Such Credit point is allocated based upon number of course hours input required which may include, *inter alia*, units of: class hours, case studies, presentation, and tutorials;

- (cvi) Curriculum Development Committee (CDC) shall be appointed by the Special Sub-Committee (SSC) for developing, architecture and designing of various PGPL [as defined in Rule-2(1)(oi)] courses in a University/Centre of Legal Education;
- (cvii) Council of Post Graduate Studies and Research of a University is constituted under the statute/Regulations of the University concerned to design courses of studies, conduct examination, set standards of certification and discharge all other functions as may be allotted to the body concerning PGPL & Research studies;
- (di) Dedicated Core faculty shall comprise whole time faculty consisting of Professors, Associate Professors and Assistant professors appointed only to administer and run PGPL and Research under the Council of Post Graduate Studies and Research of a University concerned;
- (ei) Executive Program means any program which may be run according to this Rules, on weekends, vacations when the courts remain in holidays as well as through on-line coursework and/or pre-examination class room revision courses etc. leading to a Master degree by any Law Graduate;
- (fi) Faculty means Faculty of Law constituted by a University statute or Regulations, as the case may be;
- (gi) Grade point means points secured in any paper in grading system, any semester the average secured in all the papers in the Semester commonly attributed as the SAGP and average of grade points in all papers in the entire LL.M. course, commonly attributed as Cumulative Average Grade Point or CAGP;
- (gii) GEC is the General Education Council for laying down standards of learning outcomes to be achieved by all HEIs with the assistance of Professional Councils who shall function as the Professional Standard Setting Bodies;
- (hi) Higher Education Commission of India (HECI) is Commission appointed by the Government of India to regulate higher education in all branches of discipline excepting professional education in Medicine and Law;
- (hii) Higher Education Grants Council (HEGC) is the body to take charge of financing the higher education and research in place of UGC;
- (Ii) Integrated Law degree as is defined in the Legal Education Rules, 2008 amended from time to time;
- (Iii) Integrated Ph.D./J.S.D. program means registering for the Masters and Doctoral program together;
- (ji) Joint degree program is one where a University floats a combined two degree program, that means, another degree program with LL.M., such as LL.M, MBA. Such a joint degree shall have two time requirements back to back, such as a 2 years LL.M. with a 2 year MBA would make the joint degree for 4 years;
- (ki) Legal Education Rules, 2008 means body of Rules notified and applied to regulate matters connected with undergraduate legal education, in 2008 or as may be amended from time to time;
- (li) Masters' Degree in law means LL.M. degree obtained from a recognized University after successfully completing the Master degree course in Law as laid down by the University concerned according to these Rules;
- (lii) MHRD is the Ministry of Human Resource Development of the Government of India and includes any other nomenclature given by the Government of India to the said Ministry;
- (mi) National Education Policy 2020 is the education policy notified by the Government of India to be observed by all HEIs;
- (mii) National Committee for Integration of Vocational Education (NCIVE) is the committee of experts constituted by MHRD;
- (miii) NAC is the National Accreditation Council established for accreditation of institutions;
- (miv) NHERC is the abbreviated name of the National Higher Education Regulatory Council;

- (ni) oriental legal system means and includes legal system of the East including indigenous legal order;
- (nii) On-line course/ class means virtual class/course/meeting as the case may be conducted virtually through use of internet;
- (niii) Offline course/class/ meeting is what is organized in real class room exercise;
- (oi) PGPL is the abbreviated form of all Post Graduate Program in Law(PGPL)including Master Degree Course in General category or Specialized category;
- (oii) Ph.D. means Doctorate in Philosophy (alternately, S.J.D.) in any legal or jurisprudential subject obtained by submission of a research thesis and successfully defending the same and conferred the degree by a recognized University;
- (pi) Qualifying examination means entry level qualification examination;
- (qi) Rules mean Rules of Legal Education, 2008;
- (ri) Specialization shall mean specialization in any branch of law such as but not restricted to Constitution & Public Law, Criminal Law, Business Law, International Law, International Trade Law, Labour Law, Taxation, Banking & Insurance Law, International Commercial Dispute Resolution, Women and the Child law, Public Policy & Governance, Human Right Laws, and Intellectual Property Right, Technology & Law etc.

Provided that if specialization in any branch is allowed to a student the concerned student shall chose at least 50% of all papers of the PGPL from the same branch of law.

Provided further that any University can introduce any area of specialization only having at least three core faculty members from that area of specialization.

- (rii) Special Sub Committee (SSC) means the Sub-Committee appointed by the BCI under these Rules;
- (si) These Rules mean BCI Legal Education (Post Graduate & legal Research degree level education; education in Specialized Courses; Continuing Education; Vocational and clinical Education; Technology and Court Management Education and all other forms of legal education) Rules, 2020;
- (ti) University means and includes University as defined in the University Grant Commission Act, 1956 as amended from time to time and Deemed to be University notified by Ministry of Human Resource Development of Government of India under Section 3 of the U.G.C. Act;
- (tii) University Grants Commission (UGC) means the Commission established and run by an under University Grants Commission Act, 1956 as amended from time to time; and
- (ui) Vocational education: Professional skill learning on the job conducted by Bar Council of India, State Bar Councils, or any CLE with the assistance of Advocates in practice and includes clinical legal Education.
- (2) Any term not defined in these Rules shall mean as is defined in the Legal Education Rules, 2008 as may be amended from time to time or substituted.

3. Appointment of a Special Sub-Committee

- (a) On the advice of the Legal Education Committee, the Bar Council of India shall appoint a Special Sub-Committee for implementing these Regulations under the overall control and guidance of Legal Education Committee (LEC) of the Bar Council of India.
- (b) The Special Committee shall be composed of the following members:
 - (i) five eminent professors of Law, one of whom being the Vice Chancellor of the NLSIU, as may be nominated by the Legal Education Committee;
 - (ii) two Hon'ble sitting or retired Judge of High Courts, nominated by Chairman of the BCI; and
 - (iii) three members of the Bar Council of India nominated by the Chairman of the BCI.

- (iv) Chairman of the Legal Education Committee shall be *ex officio* Chairman of the Sub-Committee.
- (c) The tenure of the Special Sub-Committee shall be three years.

4. Qualification of Faculty members

Core faculty members shall have qualification and experience prescribed by University Grants Commission based on the rank of the assignment of Professor, Associate Professor and Assistant Professor to be appointed by a University and shall be drawing salary and other benefits as prescribed by UGC and the MHRD and/or State Government, as the case may be, from time to time. However, under some special circumstances, the B.C.I. can make some changes in the matters of qualification and experience.

Chapter-II

Post-Graduate Degree Course in Law

5. Entry level Qualification and Duration of Master degree course:

- (a) A pass in the three year LL.B. or a five year LL.B. in an integrated Law degree course is the entry level qualification securing percentage of marks as may be notified by the Entrance Examination Testing Body of Bar Council of India either through All India Entrance Test or at the state level as the case may be.
- (b) The post-graduate course in law leading to Master degree, in short, LL.M. has to be of two years' duration spreading over four semesters.

6. One year Master Degree to be abolished

A Master Degree Program in Law of one year duration introduced in India in 2013(as per notification) by the University Grants Commission shall remain operative and valid until the Academic Session in which these Regulations are notified and implemented but not thereafter at any University throughout the country.

7. LL.M. course is restricted to only graduates in law

- (a) No University shall admit and award any Master's degree in law (LL.M.) to any person who has not obtained (i) the degree of Bachelor of Law (LL.B.) after graduation in any subject or area or discipline or (ii) an Integrated degree such as, BA.LL.B. or BBA.LL.B or B.Sc. LL.B. after studying at least a minimum period of five years.
- (b) A Master degree in any specialized branch of Law offered in the Open System to any graduate, such as Business Law or Human Right, or International Trade Law without having LL.B./BA.LLB as the requisite entry level qualification shall not be designated as Master's Degree in Law (LL.M.) but can be designated in any other manner attracting the immediate attention of anyone that such a degree holder may not be a Law graduate.

Explanation: Master's degree in Business Law may be designated as (MBL); Master's in Governance and Public Policy as (MGPP), Master's in Human Rights as (MHR), Master's in Industrial Laws (MIL) etc., which cannot be considered equivalent to LL.M.

8. All India Common Entrance Test

- (a) Bar Council of India (either directly or through its Trust) may annually conduct a Post Graduate Common Entrance Test in Law (PGCETL) for admission in Master Degree course in Law in all Universities and until the PGCETL is introduced the present system followed by respective Universities shall be followed. Once the BCI introduces PGCETL it shall be mandatory to admit the students from the merit list of the Test.
- (b) Applicants seeking admission shall submit the score in the PGCETL for admission into a Master Degree in Law program of an Approved Law School/Centre of Legal Education and admission shall be based on merit subject to rules of classification and reservation in the state concerned.

9. Institutions competent to initiate and run the LL.M. program

(a) Introducing and running a PGPL course (LL.M. Program) is the direct responsibility of a University and cannot be sourced out to any affiliating institutions.

(b) Any University approved by the UGC under Section 2(f) of the UGC Act, 1956 having a Law Faculty or department of Law or School of Law including a Constituent College and after constituting a Council for Post Graduate Studies in Law & Research can apply for introducing a PGPL Course [Master's Degree Program in Law (LL.M. and/or any other certificate course]in any of its School/Department/Faculty or Constituent College, and shall submit an application in the prescribed Form to the Bar Council of India, along with detail project plan and estimation, infrastructural facility available and the list of faculty available for teaching specified subjects, within the month of September of the year preceding to the Academic Year in which the program is proposed to be launched. There has to be a clear and transparent financial plan including the source of funding.

10. Conduction for running any PGP course

- (i) Commencement of semester program: The first and third semester program shall commence not later than September 1 and the second and Fourth semester session shall commence not later than January 15 each academic year.
- (ii) Minimum no. of working days: Each semester shall comprise 18 weeks with minimum 90 working days excluding orientation program, examinations and viva.
- (iii) Maximum strength of the students in a class: There shall be not more than 20 students in each branch of specialization subject to maximum of 50 students' over-all total admission in the LL.M. Program of a University Institution. However if there is no specialization offered in the LL.M. under general program in the omnibus one content of the LL.M course all students in the program admitted may take the general course.

Provided that in such a case the Degree Certificate shall not mention any area of specialization.

Provided further that a University, the Law faculty/Law School of which has high accreditation rating may apply for an additional section and may be permitted to have additional section in accordance with the academic and physical facilities available keeping in view teacher-student ratio and other infrastructural requirements before allowing such additional section.

- (iv) Teacher-student ratio: teacher-students ratio in the Post Graduate Program in Law (PGPL) shall not exceed 1:10
- (v) Minimum number of faculty: There shall be dedicated core faculty of not less than 10 of whom minimum 4 shall be Professors/Associate Professors.
- (vi) A University shall be allowed to offer PGPL only after fulfilling the minimum requirement of faculty and other infrastructure prescribed under these Rules and/or Regulations or Resolutions taken under these Rules.
- (vii) Teaching internship: A Student may seek internship in any teaching Institution (earmarked by Bar Council of India in this regard) in which case the student concerned shall be put into internship in teaching under a senior Professor for at least a period of three months in the Final Semester either within the Faculty or with any other Law School.
- (viii) Teaching-learning methods and weekly schedule: The teaching learning methodology shall comprise lectures, case studies, group discussions, presentation by the participants, seminars, workshops, field studies and research covering a minimum of thirty hours per week (equivalent to 5 hours over 6 days a week or six hours over five days a week).

11. PGP Course (LL.M. Program)

- (a) The PGP Course (LL.M. Program) shall comprise a minimum of four compulsory taught papers, eight papers from Common Basket or from area of specialization as may be offered by the University and a dissertation under the guidance of a Professor/Associate Professor. In case no Professor or Associate Professor is available in any super-speciality, an Assistant Professor (with Ph.D.) in the area of such super speciality may also guide.
- (b) A Full paper may be allocated 4 credit, half paper with 2 credit and eight papers with 2 or 3 credits depending upon the course contents and class hours required to cover the contents. The Research paper/dissertation may be allowed to be considered as a full paper.
- (c) A student shall submit an outline of the Dissertation plan with research blueprint at the beginning of the IV th Semester.
- (d) Each student carrying out dissertation work shall be guided by a faculty member assigned for the purpose.

12. Transitory provision

- (a) Until the Curriculum Development Committee (CDC) of the Legal Education Committee, (LEC) of Bar Council of India otherwise decides the four base course compulsory for all students shall be (a) Law and Social Transformation (b)Theories of Law and Justice(c) Research Methodology & design of blueprint of Curriculum and (d) Quantitative Analysis.
- (b) All rules, regulations, guidelines, directives and circulars of the UGC introduced/issued from time to time by the UGC concerning the LL.M. program by a University and also for setting academic and administrative standards unless expressly prescribed /directed otherwise by any Regulations, Guidelines, Circulars, Directives or Notifications of the Bar Council of India, shall remain operative and binding upon the Universities. In case of any obstacles faced by a University, such information has to be brought to the knowledge of the BCI to be placed before the SSC.
- (c) So long the Bar Council of India does not take steps for operating its own Accreditation system as laid down under Education Rules, 2008, each University shall ensure to take Accreditation from the National Council(NAAC).

13. Executive LL.M. Program

- (a) A degree in law from any recognized University.
- (b) It shall be a Three years course in six semester.
- (c) Course design shall be same as a regular LL.M. course for 2 years i.e. 4 semesters.
- (d) Teaching-learning methods of rest period of one year (with 2 semesters) to adopted are week end class-room, class room study in weekends, long vacation of the University at a suitable time schedule for legal professionals/Law Teachers, preferably in the evening and online instruction and course-work; paper-writing/ project research or any other innovative method of effective teaching-learning.

This course shall be imparted only at the Institution(s) having special faculties/ infrastructures for research work and methodology in teachings. Bar Council of India shall establish such institution at the beginning as a model Institution through its Trust.

- (e) Evaluation system shall be adopted by the CPGLER continuous assessment, paper presentation, project-report, take home examination and terminal examination especially addressing capability of decision making, defending clients, multiple choice and moot court presentation.
- (f) Evaluation shall be though grading system and expressed in Cumulative Grade point Average (CGPA).

14. Inspection for approval

- (a) The SSC shall send an Inspecting Committee with not less than three members under the chairmanship of an eminent Academician, preferably a Vice Chancellor(serving or retired, of a National Law University or any other leading University) nominated by the LEC of the Bar Council of India. The SSC may also request the UGC/HEGC to nominate one member in the Committee.
- (b) The Report of the Committee shall be placed before the LEC for approval with observation of the SSC and a copy of which shall also be forwarded to the UGC/HEGC urging to allocate block and maintenance grant including library grant and grants for appointing faculty members.
- (c) Once approval is granted on the proposal of a University, it shall continue for a period of five years. However on surprise inspection, an inspection committee may recommend cancellation of such an approval:

Provided that an approval shall not be revoked on the recommendation of an Inspection Committee unless the University is given an opportunity of explaining why such an approval is not to be revoked in given fact situation as observed by the Inspection Committee.

The decision of LEC shall be final. However, the Bar Council of India can revise the decision of Legal Education Committee of the Bar Council of India for special reasons to be recorded in writing.

15. Ph.D./SJD registration & procedure for course-work

University can register a stipulated number of students for the Ph.D/SJD course in Law based on the following stipulations:

- (a) LL.M. shall be the Entry level qualification;
- (b) There shall be credit based initial courses in the first semester, inter alia, on research methodology, Teaching Curriculum Planning and designing in undergraduate/postgraduate course and teaching –learning methods and effective Evaluation system
- (c) The program shall be a minimum time requirement of 3 years;
- (d) Students may preferably possess Junior Research Fellowship;
- (e) Each students shall have Teaching Assistantship and participate in credit-based teaching learning for required number of classes weekly for at least one semester in any undergraduate/postgraduate program,
- (f) On successful defence of the scholar in public and on the assessment of the thesis (after plagiarism test), the Ph.D/SJD may be conferred.

Chapter-III

Educational upgradation and efficiency enhancement &

Professional Education

16. Associate of the Bar Council of India (A.B.C.I)

- 1. The Bar Council of India through the B. C. I. Trust shall introduce two professional efficiency enhancement continuing education courses only for Advocates who are enrolled with any State Bar Council, which are as follows:
 - (a) Associate program equivalent to the Masters' degree in law to be conducted over a period of three years in order to complete total number of credit points for each part and of the whole course as the case may be.
 - (b) The program shall be based on modules and registered lawyers for the course may take the test on the basis of completion of Part of the course and take their time to complete the prescribed course contents according to their available time.
 - (c) The teaching methodology shall be home study of the study materials, completion of questions on lessons and sending the answers through emails, feedback from the evaluators and one-to-one online discussion for doubt clearance with the faculty at scheduled time.
 - (d) Evaluation shall be based on continuous assessment of responses to question-answer on lessons, paper writing, case presentation on line and terminal tests, Part by Part.
 - (e) The Education Directorate shall notify the program and detail information and sent to intending candidates the brochure with application form.
 - (f) On successful completion, the Bar Council of India shall issue a Certificate allowing the passed out student concerned the academic title of accreditation of A,B,C.I. and use the same in the *curriculum vite* and identity card.
- (2) Fellowship program:
 - (a) Fellowship of the Bar Council of India shall be equivalent to Ph.D.
 - (b) LL.M./A.B.C.I. shall be the entry qualification for registration.
 - (c) Fellowship is obtained by conducting research under the supervision of a allotted faculty by B. C. I. Trust for a period not less than three years.
 - (d) Submission of the thesis on any topic/issue of any super speciality area or any branch of law and the thesis may be assessed by a body of at least three experts to be nominated by B. C. I. Trust in consultation with L. E. C.
 - (e) After the conferment of the award, one can use the academic title of Fellowship of the Bar Council of India (F.B.C.I).

Explanation: One important purpose of courses of A.B.C.I./F.B.C.I. is that Advocates with the qualification and title of A.B.C.I. may be required for teaching clinical courses and papers in any C.L.E. A person with F.B.C.I. title can be invited as regular, guest, or part time assignments for specialized substantive and procedural courses.

17. Refresher/Continuing Education Program

The Bar Council of India Trust in association with any National Law University/University faculty having high accreditation rate and the State Bar Councils may run any or all of the following continuing education program on periodical/regular basis:

- (a) Short Term refresher courses of the duration of five days to fifteen days in any general or specialized field of law, on successful completion of which participants shall obtain a certificate of participation in terms of credit points acquired in such courses. BCI shall declare number of credit points to be given for any of such courses. An Advocate can mention in his business Card and professional records as to how many credit points he/she may have acquired by attending such courses over a period of time.
- (b) The Bar Council of India shall notify any of these courses with the detailed guidelines on admission, supply of study materials, semi-annual contact hours, on-line education, nature of the test to be attended to successfully complete the course, curriculum schedule, course fees and other fees to be paid, if any etc.

18. Para legal/Court management Courses

BCI Trust may conduct para-legal (including land survey work, notarization, registration and all other judicial work of court and lawyers' chamber management) and technology & Court Management courses of suitable duration on-line and/or off-line to facilitate para-legal works and court-management to cover updated education and training.

BCI Trust may for the above purpose seek assistance and involve the service of the National Legal Services Authority and State Legal Services Authorities.

19. Faculty Improvement & teachers training

- (1) Bar Council of India through B. C. I. Trust may initiate:
 - (a) Faculty Orientation Program for newly recruited members of the faculty and serving in any HEIs within the states for not more than 4 years; and
 - (b) Continuing legal education program for existing and senior faculty members having experience over 7 years
- (2) Bar Council of India shall establish such Institutions through its Trust and/or may urge some National Law University or other University of repute to organize the Continuing Legal Education Program on rotational basis on the basis of region of East, West, North, South and Central India OR The Institution of BCI Trust may organise it in different parts of the country.
- (3) Bar Council of India and/or its Trust may request the participating Universities, Institutions or the faculties or State Government, Ministry of Law & Justice, Government of India, UGC/HEGC to share the cost.
- (4) The organizing BCI Trust may also seek sponsorships from business, industrial houses and leading Law Firms.

Chapter-IV

Rule for Equivalence & Miscellany

20. Equivalence of Post Graduate Degree obtained from a Foreign University

- (1) In order to qualify for test of equivalence of LL.M. degree obtained from any foreign University the Masters' Degree in Law course must have been taken only after obtaining the LL.B. degree from any foreign or Indian University which is equivalent to the recognized LL.B. degree in India.
- (2) LL.M. degree obtained from a Foreign University, which has been prosecuted without an equivalent LL.B. degree shall not be equivalent to Indian LL.M. degree such as follows:

- (i) LL.B. is a three/four year first undergraduate course in which case One year or Two years of study in LL.M. in the foreign University forms part of the LL.B. program to consider the LL.B. with or without a Bridge course as equivalent to Indian LL.B.
- (ii) LL.M. is obtained without having any equivalent LL.B.
- (3) One year LL.M. obtained from any foreign University is not equivalent to Indian LL.M. degree. However one year LL.M. degree obtained after an equivalent LL.B. degree from any highly accredited Foreign University may entitle the person concerned to be appointed as a visiting professor in an Indian University for at least one year so as to consider such One year LL.M. degree with one year teaching experience as a Visiting Faculty/internee faculty/clinical faculty the Master degree obtained on one year term may be considered equivalent.

Chapter-V

Miscellaneous

21. The Bar Council of India and/or Bar Council of India Trust shall frame the Regulations and/or pass resolutions from time to time for proper and effective implementation of these Rules.

22. Legal Education Rules, 2008

The Legal Education Rules, 2008 as amended from time to time or replacing Rules including the Schedules shall be *mutatis mutandis* applicable unless any provision is specifically applicable only to undergraduate studies in Law alone.

SRIMANTO SEN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./438/2020-21]